

19-2021) वकील उभयपक्ष उपस्थित हैं। न. इ.
प्रा० पत्र पर खटस सुनी गई। वकील प्राथी ने
न. इ. प्रा० पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।
वकील अप्राथीगण ने जवाब के अनुसार न. इ.
प्रा० पत्र अस्वीकार करने का निवेदन किया है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
उक्त मामले में हम इस न्यायालय द्वारा दि०
25-1-2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा
को ताफैसला दावा स्थायी करना उचित समझते हैं।

Handwritten signature/initials

अतः भूमि ख० नं० 42, 64, 312, 313
ग्राम मिजापुर की ताफैसला दावा रेकार्ड की स्थिति
यथावत रखने हेतु अप्राथीगण को जरूर अस्थाई
निषेधाज्ञा जारी किया जाता है।

पत्रावली फौसला नुमांर होकर नम्बर
से कम हो सर्वे खाद तकमील मूलवाद के साथ
संलग्न रहे।

उप जिला क्लर्क
गंगापुर सिटी

